(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–

हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 95/2017 **जीसीएमएस नम्बर :– 2017/00345**

मालाराम पुत्र स्व0 सोहन उम्र 75 साल जाति जाट निवासी ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

............वादी

बनाम

1. महीपाल
2. दुलिचन्द्र पुत्रान स्व0 सोहन
3. श्रीमति अंगुरी देवी पत्नी स्व0 रामनारायण समस्त जाति जाट निवासी ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
4. प्रवीण
5. पवन पुत्रान स्व0 रामनारायण जाति जाट निवासी ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
6. सन्तोष पुत्री स्व रामनारायण जाति जाट निवासी ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
7. ममता पुत्री स्व0 रामनारायण जाति जाट निवासी ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
8. राजस्थान ग्रामीण बैंक जरीय शाखा प्रबन्धक शाखा गाडाखेड़ा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

(उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज0))

.................प्रतिवादीगण

दावा बाबत– **बाबत बेदखली, बटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा**

—:निर्णयः—

दिनांकः– 20/5/24

(1). वादी का वादपत्र रहा कि

1. यह है कि वाके ग्राम ढाढोत खुर्द पटवार हल्का ढाढोत कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 में स्थित हाल जमा[illegible] संवत 20[illegible] 20[illegible] अनुसार भूमि खाता संख्या 83 के ख0 न0 52 रकबा 0.50 हैक्टर ख0 [illegible] 53 रकबा 0.01 हैक्टर ख0 न0 84 रकबा 5.10 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 5.61 हैक्टर भूमि के खातेदार काश्तकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.01 16:[illegible] IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 सयुक्त खातेदार है जिसका वार्षिक लगान 81.25 रूप्ये सालान है।

2. यह कि वाद पत्र के खण्ड सख्या 1 मे वर्णित भूमि बाहमी बटवारा अनुसार प्रत्येक खातेदार अपनी हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त थे। वादी अपने मां के हिस्सा की भूमि जो 5 बीधा कच्ची दिया था। वह काश्त करता था तथा प्रतिवादी सख्या 3 लगायत 7 का हिस्सा की भूमि भी वादी ही काश्त करता था प्रतिवादी सख्या 3 लगायत 7 के पिता स्व0 रामनारायण बिमारी का इलाज वादी ने ही करवाया था वह वादी के ही पास रहता था। प्रतिवादी सख्या 3 पहले वादी क पास रहती थी अब वह अपने मायके रहती है प्रतिवादी सख्या 4 व 5 दिल्ली रहते है तथा प्रतिवादीया सख्या 6 व 7 की शादी कर दी है वह अपने ससुराल रह रही है रामनारायण का देहन्त आज से लगभग 17 वर्ष पुर्व हुआ था तथा वादी प्रतिवादी सख्या 1 व 2 की माता प्रतिवादीया सख्या 3 की सास व प्रतिवादी सख्या 4 लगायत 7 की दादी का देहान्त मार्च 2017 मे हुआ है।

3. यह कि वाद पत्र के खण्ड सख्या 1 में वर्णित भूमि में वादी का हिस्सा 1/4 भाग का बटवारा कर वादी का हिस्सा अलग से कर तदानुसार वादी के हिस्सा का अलग से कायम कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे जिसके बाबत यह दावा बाबत खाता विभाजन हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है।

4. यह कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के नियम 18 से 21 अनुसार प्रत्येक खातेदार के हिस्से की भूमि में आने जाने के लिये रास्ता दिया जाकर हिस्से अनुसार वादी का 1/4 भाग पर प्रतिवादी सख्या 1 लगायत 7 के हिस्सा मे से खाता विभाजन किया जाकर प्रत्येक खातेदार काश्तकार के हिस्सा में आम रास्ता जिसमें वाहन ट्रेकटर आदि के लिये 8 फुट चौड़ा रास्ता कायम कर तदानुसार वादी का खाता विभाजन कर अलग से लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश देने की कृपा करे।

वादी ने वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा किः–

(क) कि वाके ग्राम ढाढोत खुर्द पटवार हल्का ढाढोत कलां तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित हाल जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 अनुसार भूमि खाता सख्या 83 के खसरा नम्बर 52 रकबा 0.52 है0 खसरा नम्बर 53 रकबा 0.01 है0 खसरा नम्बर 84 रकबा 5.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.61 है0 मे वादी हिस्सा 1/4 बाहमी बटवारा में हिस्सा और कब्जा का बटवारा नही हो जाता तब तक प्रतिवादी सख्या 1 लगायत को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर कि वादी के कब्जे काश्त भूमि पर न तो काश्त करे और ना ही कब्जा में दखल करे पाबन्द किया जाने के आदेश देने की कृपा करे।

(ख) कि उपरोक्त भूमि में वादी का हिस्सा 1/4 भाग का बटवारा कर वादी के हिस्से पर

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.01 16:10:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादी कब्जे काश्त है वही हिस्सा वादी का खाता विभाजन कर वादी का अलग से लगान कायम कर तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश देने की कृपा करे।

(ग) कि उपरोक्त कृषि भूमि में खाता विभाजन कर राजस्थान टैनेन्सी के नियम 18 से 21 अनुसार वादी के हिस्सा मे आने जाने का रास्ता 8 फुट का कायम करे तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाने के आदेश देने की कृपा करे।

वादी द्वारा दस्तावेजात जमाबंदी संम्वत 2075—78 खाता संख्या 83 ग्राम ढाढोत खुर्द, नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये गया।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1, 2 की ओर से श्री महावीर प्रसाद चौधरी एडवोकेट द्वारा वकलातनामा पेश किया गया। जबाव दावा मय प्रतिदावा पेश किया गया। दिनांक 30.11.2022 को अधिवक्ता द्वारा द्वारा ''No Instruction'' किया। शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ दिनांक 30.11.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिदावा निम्न प्रकार रहा कि :—

प्रतिवादी संख्या 1, 2 का प्रतिदावा रहा है कि ग्राम ढाढोत खुर्द स्थित भूमि खसरा नम्बर 52 रकबा 0.50 है., खसरा नम्बर 53 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 84 रकबा 5.10 है. किता 3 कुल रकबा 5.61 है. में प्रतिवादी संख्या 1 का उसके 1/4 भाग का तथा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 का खाता विभाजन कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने की कृपा करे। प्रतिवादी संख्या 1, 2 काउन्टर क्लेम के अनुतोष के खण्ड संख्या कके अनुसार पत्थरगढी कर कब्जा भी दिलवाया जावे। भूमि पर जबरन लठ के जोर पर अवैधानिक तरीके से कब्जा कास्त ना करें। ऐसा ना तो स्वयं करे तथा ना ही अपने रिस्तेदारों मित्रों आदि से करावे।

वादी के द्वारा जबाव प्रतिदावा पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1, 2 द्वारा प्रस्तुत जबाव दावा मय प्रतिदावा मय हर्जे खर्चा खारीज किया जावे।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 3 लगा. 7 को दिनांक 30.11.2022 बावजूद सम्यक् तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 07.08.2023 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 512 दिनांक 29.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 901 दिनांक 25.04.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्राप्त हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.01 16:10:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र , दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम ढाढोत खुर्द स्थित भूमि हाल खाता संख्या 83 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का दर्ज हिस्से अनुसार वाद को अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

न्यायालय वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1, 2 बाबत खाता विभाजन अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना स्थित जमाबंदी सं. 2075–78 के हाल खाता स0 36 के खसरा नम्बर 52 रकबा 0.50 है0 खसरा नम्बर 53 रकबा 0.01 है0 खसरा नम्बर 84 रकबा 5.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.61 है0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जेकास्त अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 512 दिनांक 29.08.2023 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 901 दिनांक 25.04.2024 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं (राज.)

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक--20/5/24--को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.01 16:10:51 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 95 / 2017 **जीसीएमएस नम्बर :– 2017 / 00345**

मालाराम बनाम महीपाल

दावा बाबत– खाता विभाजन

–:निर्णयः– दिनांकः–20/5/24

वादी की ओर से **श्री रामस्वरूप यादव एडवोकेट** की उपस्थिती व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से श्री महावीर चौधरी की उपस्थिति में शेष की अनुपस्थिती में इस वाद को **हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 1, 2 बाबत खाता विभाजन अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः वाके ग्राम ढाढोत खुर्द तहसील बुहाना स्थित जमाबंदी सं. 2075–78 के हाल खाता स0 36 के खसरा नम्बर 52 रकबा 0.50 है0 खसरा नम्बर 53 रकबा 0.01 है0 खसरा नम्बर 84 रकबा 5.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 5.61 है0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 का दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जेकास्त अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '"अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे / हिस्से / खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 20/5/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर,बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.07.01 16:10:51 IST
Reason: SelfAttested